अत्यावश्यक
महत्वपूर्ण

पत्र संख्या–01/स्था0 (विविध)–26/2018 3224 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भरत झा, भा0प्र0से0
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–
अपर सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्।
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, 15, दिनांक– 19/06/18

विषयः– सभी नगर निगमों एवं नगर परिषदों में सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति GeM Portal के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाईन खरीदारी एवं खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा GeM Portal विकसित किया गया है।

नगर निकायों के स्तर पर भी सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, दक्षता और गति लाने के लिए नगर निकायों के स्तर पर भी सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति GeM Portal के माध्यम से अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4004 दिनांक 31.05.2018 द्वारा भी नगर निकायों में GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए निदेश देने का सुझाव दिया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त राज्य के सभी नगर निकायों में दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से GeM Portal के माध्यम से सामाग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य किया जाता है।

अनुरोध है कि इस बीच GeM Portal से सामग्रियों के क्रय हेतु वित्त विभागीय संगत परिपत्र एवं मार्गदर्शिका के अनुसार कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–26/2018 3224 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 19/06/18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–26/2018 3224 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 19/06/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना एवं विकास निगम/बिहार राज्य आवास बोर्ड/बिहार राज्य जल पर्षद/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।